अनुदान संख्या 48 – परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 48–DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	5986,12,00	5986,14,00	5194,83,22	–791,30,78
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				504,98,90

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2211'' परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family Welfare				
मू.	O.	216863.00	189828.65	187491.96	–2336.69
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–27036.35			
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	49300.00	25941.87	. .	–25941.87
पु.	R.	–23358.13			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	310404.00	312736.58	312769.00	+32.42
पु.	R.	2332.58			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	4693.00	3764.00	3687.27	–76.73
पु.	R.	–929.00			
मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री तथा उपस्कर	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments				
मू.	O.	17000.00	15500.00	15191.10	–308.90
पु.	R.	–1500.00			

(I) 50672.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 50346.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2211"-

(क) "अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं"- 360.00 लाख रु. गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन संबंधी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) "अन्य व्यय - दसवीं योजना में नई पहल"- 558.00 लाख रु. योजना आयोग द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और स्कीम का विलय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना के साथ किए जाने के कारण थे।

(खा) "मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 49300.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने और साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.50672.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.50346.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(A) Major Head "2211" -

(a) "Other Services and Supplies - Social Marketing Area Projects" - Rs.360.00 lakhs - due to non-finalisation of National Strategy on Social Marketing of Contraceptives.

(b) "Other Expenditure – New Initiatives in Xth Plan" – Rs.558.00 lakhs - due to non-approval of the scheme by the Planning Commission and merger of the scheme with Reproductive and Child Health Project.

(B) Major Head "2552" – "Other Expenditure – Provision for Projects/Schemes of North Eastern Areas and Sikkim" – Rs.49300.00 lakhs - due to utilisation by re-appropriation of funds to the functional heads for meeting the expenditure on the Projects/Schemes for the benefit of the North-Eastern States including Sikkim and also reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - चयनित क्षेत्र परियोजनाएं (भारत जनसंख्या परियोजनाओं सहित) - सामान्य संघटक"- 128.00 लाख रु. राज्य सरकारों से कोई मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2211" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) "निदेशन और प्रशासन - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय"- 148.26 लाख रु. की बचत (330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(खा) "प्रशिक्षण - परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, मुंबई"- 147.84 लाख रु. की बचत (241.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय के नए भवन, जिसके लिए हाल ही में भूमि अधिग्रहीत की गई थी, के निर्माण में विलंब होने, मुंबई नगर निगम के करों, सम्पत्ति कर से संबंधित बिलों के प्राप्त न होने, रिक्त पदों के न भरे जाने, नए वाहन की अधिप्राप्ति न किए जाने और लोक निर्माण विभाग, मुंबई द्वारा चारदीवारी का निर्माण पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अनुसंधान और मूल्यांकन - जनसांख्यिकीय और अन्य संचार अनुसंधान"- 180.02 लाख रु. की बचत (765.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के पास पिछले अनुदानों के अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(घा) "मातृत्व और बाल स्वास्थ्य - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना"- 22698.63 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 2.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 130794.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सामग्री, वैक्सीन की कम अधिप्राप्ति किए जाने, राज्य सरकारों द्वारा मुख्य गैर-सरकारी संगठन के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, छह नए क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाने में विलंब होने, राज्य/संघ क्षेत्रकी सरकारों से प्रस्तावों और उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "प्रतिपूर्ति - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय"- 296.25 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Family Welfare – Selected Area Projects (including India Population Projects) – General Component" – Rs.128.00 lakhs - due to non-receipt of demand from the State Governments.

(II) Under Major Head "2211" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Direction and Administration – Expenditure in Union Territories without Legislature" – saving of Rs.148.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.330.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) "Training – Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai" – saving of Rs.147.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.241.00 lakhs) was due to delay in the construction of new building of the office for which land was recently acquired, non-receipt of bills for Mumbai Municipal Corporation taxes, property tax, non-filling up of vacant posts, non-procurement of new vehicle and non-completion of construction of boundary wall by Public Works Department, Mumbai.

(C) "Research and Evaluation – Demographic and Other Communication Research"– saving of Rs.180.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.765.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous grants with the Population Research Centres.

(D) "Maternity and Child Health – Reproductive and Child Health Project" –saving of Rs.22698.63 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.130794.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs obtained in December, 2003 and February, 2004) was due to procurement of less Reproductive and Child Health materials, Vaccines, delay in finalisation of Mother Non-Governmental Organisation proposals by State Governments, delay in setting up of six new Regional Resources Centres, non-receipt of proposals and utilisation certificates from the State/Union Territories Governments.

(E) "Compensation – Expenditure in Union Territories without Legislature" – saving of

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(चा) ''जन शिक्षा - सूचना, शिक्षा और संचार किशोर स्वास्थ्य'' - 390.25 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के साथ परामर्श करके किशोर स्वास्थ्य संबंधी नीति को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(छा) ''चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) - स्वायत्तशासी/स्वैच्छिक संगठनों/समितियों के माध्यम से चलाई जाने वाली परियोजनाएं''- 2609.00 लाख रु. की बचत (5602.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(जा) ''अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति''- 4439.82 लाख रु. की बचत (18875.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कापर-टी, ट्यूबीय रिंगों के मूल्यों में भारी कमी होने, नीति में परिवर्तन की वजह से निरोध, खाने की गोलियों से संबंधित कच्चे माल की अधिप्राप्ति न किए जाने, तकनीकी समिति द्वारा लैप्रोस्कोप की विनिर्दिष्टियों को देर से अंतिम रूप दिए जाने के परिणामस्वरूप अधिप्राप्ति प्रक्रिया के पूरा होने में विलंब होने और आर्डर देर से दिए जाने की वजह से विनिर्माताओं द्वारा ट्यूबीय रिंगों की आपूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(झा) ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय''- 1506.80 लाख रु. की बचत (26200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले निर्गमों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने, राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने, स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और निष्पादन आधारित लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के कारण थे।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''परिवार कल्याण - मातृत्व और बाल स्वास्थ्य''-

(क) ''प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना''- 14734.50 लाख रु. की बचत (26139.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य

Rs.296.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to incurring of less expenditure than anticipated by the Union Territories without Legislature.

(F) "Mass Education – Information, Education and Communication Adolescent Health (RCH)" – saving of Rs.390.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to delay in finalisation of adolescent health strategy in consultation with the States.

(G) "Selected Area Programmes (including India Population Project) – Projects though Autonomous/Voluntary Organisations/Societies" – saving of Rs.2609.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5602.00 lakhs) was due to delay in the launching of the programme.

(H) "Other Services and Supplies – Free Supply of Family Planning Materials" – saving of Rs.4439.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18875.00 lakhs) was due to drastic reduction in prices of Copper-T, Tubal Rings, non-procurement of Nirodh, raw materials for Oral Pills owing to change in policy, late finalisation of specifications of Laperoscopes by the Technical Committee resulting in delay in completion of procurement process and non-supply of Tubal Rings by the manufacturers owing to late placement of order.

(I) "Other Expenditure – Measures under National Population Policy" – saving of Rs.1506.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26200.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificate of earlier releases, non-receipt of proposals from States, non-finalisation of the scheme and non-achievement of performance based benchmarks.

(III) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Family Welfare – Maternity and Child Health" -

(a) "Reproductive and Child Health Project" – saving of Rs.14734.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26139.00 lakhs) was due to less procurement of

संबंधी आपूर्तियों की कम अधिप्राप्ति किए जाने, राज्यों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने और अस्पताल सेवा परामर्शी निगम (भारत) लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य औषधियों की आपूर्ति उतनी मात्रा की तुलना में कम किए जाने, जितने की अधिप्राप्ति के लिए अग्रिम आहरित किए गए थे, के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन का सुदृढ़ीकरण''- 2847.48 लाख रु. की बचत (50725.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्यों में इस कार्यक्रम को लागू किए जाने की गति धीमी होने और उसके परिणामस्वरूप वैक्सीनों, हेपीटाइटिस-बी वैक्सीनों और कोल्ड चेन उपस्करों आदि की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की निशुल्क आपूर्ति''- 2347.00 लाख रु. की बचत (16230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम मांग होने की वजह से परिवार नियोजन सामग्री की कम अधिप्राप्ति किए जाने और बोलीदाताओं के बीच स्पर्धा होने की वजह से कापर-टी, ट्यूबीय रिंगों के मूल्यों में कमी आने के कारण हुई।

(गा) ''परिवार कल्याण - प्रशिक्षण - मौलिक प्रशिक्षण विद्यालयों का सदृढ़ीकरण''- 717.27 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केन्द्र''- 242.31 लाख रु. की बचत (608.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''परिवार कल्याण - मातृत्व और बाल स्वास्थ्य - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना''- 157.93 लाख रु. की बचत (215.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

Reproductive Child Health Supplies, unspent balances lying with the States and short supplies by Reproductive and Child Health Drugs to the States by Hospital Services Consultancy Corporation (India) Ltd. and Hindustan Latex Limited as compared to the quantities for which advances for the procurements were drawn.

(b) “Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication” – saving of Rs.2847.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50725.00 lakhs) was due to slow implementation of the programme in certain states resulting in less procurement of Vaccines, Hepatitis-B Vaccines and Cold Chain Equipments etc.

(B) “Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of Family Planning Material” – saving of Rs.2347.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16230.00 lakhs) was due to less procurement of family planning material owing to less demand from the States and reduction in prices of Copper-T and Tubal Rings owing to competition amongst bidders.

(C) “Family Welfare – Training – Strengthening of Basic Training Schools” – saving of Rs.717.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to late finalisation of the scheme.

(IV) Under Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” – savings occurred under the following heads: -

(A) “Family Welfare – Urban Family Welfare Services – Urban Family Welfare Centres” – saving of Rs.242.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.608.00 lakhs;

(B) “Family Welfare – Maternity and Child Health – Reproductive and Child Health Project” – saving of Rs.157.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.215.00 lakhs);

(गा) ''परिवार कल्याण - प्रतिपूर्ति - नसबंदी की प्रतिपूर्ति''- 253.47 लाख रु. की बचत (730.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) ''परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का अनुरक्षण''- 267.81 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुईं।

(ङ) ''परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति''- 226.13 लाख रु. की बचत (585.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कम मांग प्राप्त होने की वजह से परिवार नियोजन सामग्री की कम अधिप्राप्ति होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3606'' - ''संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातिक निधि से सहायता'' के अंतर्गत 1808.90 लाख रु. की बचत (17000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैक्सीनों आदि की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(VI) सात शीर्षों के अंतर्गत 519.76 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (8331.62 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि फरवरी, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2211''-

(क) ''जन शिक्षा''-

(i) ''मुख्यालय में कार्यकलाप''- 170.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 121.16 लाख रु. था।

(C) "Family Welfare – Compensation – Compensation of Sterilisation" – saving of Rs.253.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.730.00 lakhs); and

(D) "Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/Distt. Family Welfare Bureau" – saving of Rs.267.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to availability of unspent balances with the Union Territory Governments.

(E) "Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of Family Planning Material" – saving of Rs.226.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.585.00 lakhs) was due to less procurement of family planning material owing to less demand from the Union Territory Governments.

(V) Under Major Head "3606" – "Assistance from United Nations International Children's Emergency Fund" – saving of Rs.1808.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17000.00 lakhs) was due less procurement of Vaccines etc.

(VI) Under seven heads savings of Rs.519.76 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 80 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.8331.62 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in February, 2004 and vide Annexure II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Under Major Head "2211" -

(a) "Mass Education" -

(i) "Activities at Headquarters" – Rs.170.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.121.16 lakhs.

(ii) "सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रचार माध्यम इकाइयों के माध्यम से व्यय''- 442.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 410.78 लाख रु. था।

(iii) "अन्य प्रचार कार्यकलाप''- 455.37 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 451.35 लाख रु. था।

(iv) "सूचना, शिक्षा और संचार-आरसीएच परियोजना''- 221.30 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 188.92 लाख रु. था।

(ख) "अन्य सेवाएं और आपूर्तियां''-

(i) "निरोध का सामाजिक विपणन''- 2366.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1927.32 लाख रु. था।

(ii) "खाने की गोलियों का सामाजिक विपणन''- 366.95 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 364.90 लाख रु. था।

(ग) "अन्य व्यय - उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवा परियोजना में अभिनव परिवर्तन''- 1500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1499.76 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - परिवहन - पेट्रोल, तेल और स्नेहकों/वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत 2465.00 लाख रु. थे। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3100.23 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - मातृत्व और बाल स्वास्थ्य - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 345.00 लाख रु. थे। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 344.18 लाख रु. था।

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम को अनुदान'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(ii) "Expenditure through Media Units of Ministry of Information and Broadcasting" – Rs.442.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.410.78 lakhs.

(iii) "Other Publicity Activities" – Rs. 455.37 lakhs. Actual excess, however, was Rs.451.35 lakhs.

(iv) "Information, Education and Communication - RCH Project" – Rs.221.30 lakhs. Actual excess, however, was Rs.188.92 lakhs.

(b) "Other Services and Supplies" -

(i) "Social Marketing of Nirodh"- Rs.2366.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1927.32 lakhs.

(ii) "Social Marketing of Oral Pills" – Rs.366.95 lakhs. Actual excess, however, was Rs.364.90 lakhs.

(c) "Other Expenditure – Innovation in Family Planning Services Project for Uttar Pradesh" – Rs.1500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1499.76 lakhs.

(B) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes -Family Welfare – Transport – Provision for P.O.L./ Procurement of Vehicles" – Rs.2465.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3100.23 lakhs.

(C) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Family Welfare – Maternity and Child Health – Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" – Rs.345.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.344.18 lakhs.

(II) The above savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants to Centrally Sponsored Plan Scheme" - under the following heads:-

(का) ''परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केन्द्र''- 182.80 लाख रु. का अधिक व्यय (5640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) "Family Welfare – Urban Family Welfare Services – Urban Family Welfare Centres" – excess of Rs.182.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5640.00 lakhs);

(खा) ''परिवार कल्याण - प्रतिपूर्ति - नसबंदी के लिए प्रतिपूर्ति''- 2100.00 लाख रु. का अधिक व्यय (17296.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(B) "Family Welfare – Compensation – Compensation for Sterilisation" – excess of Rs.2100.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17296.00 lakhs);

(गा) ''परिवार कल्याण - प्रशिक्षण - एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण''- 275.00 लाख रु. का अधिक व्यय (6483.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(C) "Family Welfare – Training – Training of ANM/LHV" – excess of Rs.275.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6483.00 lakhs); and

(घा) ''परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव''- 2196.50 लाख रु. का अधिक व्यय (18007.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(D) "Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/Distt. Family Welfare Bureaus" – excess of Rs.2196.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18007.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष " 2552'' से संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the concerned functional heads for meeting the expenditure on the projects/ schemes for the benefit of North-Eastern States including Sikkim.

(ङ) ''परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप-केन्द्र''- 15249.08 लाख रु. का अधिक व्यय (155715.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उप-केन्द्रों की स्कीम के लिए किए गए निधियों के कम आबंटन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अधिक अनुदान जारी किए जाने और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(E) "Family Welfare – Rural Family Welfare Services – Sub-Centres" – excess of Rs.15249.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.155715.00 lakhs) was due to release of more grants to offset the less allocation of funds made for the scheme of sub-centres in the beginning of the financial year and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the concerned functional heads for meeting the expenditure on the projects/ schemes for the benefit of North-Eastern States including Sikkim.